

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण सं० : 177/2020

1. हरनाथ पुत्र हजारीनाथ जाति जोगी निवासी सुरतपुरात० भादरा।

:-वादी

ब नाम

1. किशननाथ पुत्र हजारीनाथ जाति जोगी निवासी सुरतपुरात० भादरा।
2. जयपाल पुत्र हजारीनाथ जाति जोगी निवासी सुरतपुरा त० भादरा।
3. भानीनाथ उर्फ मानसिंह पुत्र हजारीनाथ जाति जोगी निवासी सुरतपुरा त० भादरा।
4. एसबीबीजे (एसबीआई) शाखा भिरानी जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता विभाजन एवं स्थाई निषेध

अन्तर्गत धारा 53 राज०काश्त०अधि 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुनिल बैनीवाल : वादी

वकील श्री विजेन्द्र सिंह बैनीवाल : प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं किरोही मौजा सुरतपुरा के खाता सं० 20/21 के मु० न० 57 के किला न० 6 ता 8, 13 ता 18 मु० न० 58 के किला न० 9 ता 12, 19, 20 कुल 3.795है० बरानी खातेदारी वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी वप्रतिवादी सं 1 ता 3 ने राजीनामा पेश किया गया।प्रतिवादी सं० 4 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया व प्रतिवादी सं० 5 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया। साक्ष्य वादी में वादीहरनाथ के द्वारा पेश आंशिक नजरी नक्शा प्रदर्श 1 जमाबंदी रोही सुरतपुरा खाता सं० 20/21 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादी ने रोही मौजा सुरतपुरा के खाता सं० 20/21 के मु० न० 57 के किला न० 6 ता 8, 13 ता 18 मु० न० 58 के किला न० 9 ता 12, 19, 20 कुल 3.795है० बरानी खातेदारी वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का खाता विभाजन करवाने हेतु पेश किया है। अतः वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तथा तहसीलदार राजस्व भादरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया गया कि रोही मौजा सुरतपुरा के खाता सं० 20/21 के मु० न० 57 के किला न० 6 ता 8, 13 ता 18 मु० न० 58 के किला न० 9 ता 12, 19, 20 कुल 3.795है० बरानी खातेदारी वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदारी भूमि का का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाकर मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय रगंदार नक्शा दिनांक 18.10.2021 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज की। अतः तहसीलदार भादरा के

द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का विभाजन एवं खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-

हिस्सा हरनाथ वल्द हजारी कौम जोगी सा. सूरतपुरा :- रोही मौजा सूरतपुरा के मु० न० 58 के किला न० 10/2 की 0.065है०, किला न० 11/2 की 0.065है०, किला न० 20/2 की 0.065है०, बारानी 0.061है०, गै० मु० रास्ता 0.004है०, किला न० 9 की 0.253है०, किला न० 12 की 0.253है०, किला न० 19 की 0.253है० बारानी 0.240है०, गै० मु० रास्ता 0.013है० कुल 0.954है०, बारानी 0.937है०, गै० मु० रास्ता 0.017है० कृषि भूमि मुताबिक नक्शा में हरा रंग के अनुसार।

हिस्सा भानीनाथ उर्फ मानसिंह वल्द हजारी कौम जोगी सा. सूरतपुरा :- रोही मौजा सूरतपुरा के मु० न० 57 के किला न० 6/2 की 0.129है०, किला न० 15/2 की 0.129है०, किला न० 16/2 की 0.129है० बारानी 0.124है० गै० मु० रास्ता 0.005है०, मु० न० 58 के किला न० 10/1 की 0.188है०, किला न० 11/1 की 0.188है०, किला न० 20/1 की 0.188है० बारानी 0.179है०, गै० मु० रास्ता 0.009है० कुल 0.951है०, बारानी 0.937है०, गै० मु० रास्ता 0.014है० कृषि भूमि मुताबिक नक्शा में लाल रंग के अनुसार।

हिस्सा जयपाल वल्द हजारी कौम जोगी सा. सूरतपुरा :- रोही मौजा सूरतपुरा के मु० न० 57 के किला न० 7/2 की 0.194है०, किला न० 14/2 की 0.194है०, किला न० 17/2 की 0.194है० बारानी 0.184है० गै० मु० रास्ता 0.010है०, किला न० 6/1 की 0.124है०, किला न० 15/1 की 0.124है०, किला न० 16/1 की 0.124है० बारानी 0.116है०, गै० मु० रास्ता 0.008है० कुल 0.954है०, बारानी 0.936है०, गै० मु० रास्ता 0.018है० कृषि भूमि मुताबिक नक्शा में पीला रंग के अनुसार।

हिस्सा किशननाथ वल्द हजारी कौम जोगी सा. सूरतपुरा :- रोही मौजा सूरतपुरा के मु० न० 57 के किला न० 8 की 0.253है०, किला न० 13 की 0.253है०, किला न० 18 की 0.253है०, किला न० 7/1 की 0.059है०, किला न० 14/1 की 0.059है०, किला न० 17/1 की 0.059है० कुल 0.936है० बारानी कृषि भूमि मुताबिक नक्शा में तोता रंग के अनुसार।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन यथावत रखा जावे। इसी अनुसार पर्या डिक्ली संलग्न कर जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10/10/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर्रे कोर्ट कैम्प प्रशासन गांव के संग सूरतपुरा में सुनाया गया।

(शकुन्तल चौधरी)
(हिसा एका) R.A.S.
सहायक कलेक्टर (कार्टे-ट्रैक)
मोबास, जिला हनुमानगढ़
सूरतपुरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिलाहनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण सुथार आर.ए.एस.

प्रकरण सं० : 177/2020

1. हरनाथ पुत्र हजारीनाथ जाति जोगी निवासी सुरतपुरा त० भादरा।

:- वादी

ब न अ म

1. किशननाथ पुत्र हजारीनाथ जाति जोगी निवासी सुरतपुरा त० भादरा।

2. जयपाल पुत्र हजारीनाथ जाति जोगी निवासी सुरतपुरा त० भादरा।

3. भानीनाथ उर्फ मानसिंह पुत्र हजारीनाथ जाति जोगी निवासी सुरतपुरा त० भादरा।

4. एसबीबीजे (एसबीआई) शाखा भिरानी जरिये शाखा प्रबन्धक।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत जोत विभाजन अन्तर्गत

धारा 53 आर टी एक्ट 1955

आज यह वाद मुझ श्रीमति शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुनील बैनीवाल तथा वकील प्रतिवादीगण विजेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा सुरतपुरा के खाता सं० 20/21 के मु० न० 57 के किला न० 6 ता 8, 13 ता 18 मु० न० 58 के किला न० 9 ता 12, 19, 20 कुल 3.795 है० बरानी खातेदारी वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का खाता विभाजन करवाने हेतु पेश किया है। अतः वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तथा तहसीलदार राजस्व भादरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया गया कि रोही मौजा सुरतपुरा के खाता सं० 20/21 के मु० न० 57 के किला न० 6 ता 8, 13 ता 18 मु० न० 58 के किला न० 9 ता 12, 19, 20 कुल 3.795 है० बरानी खातेदारी वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदारी भूमि का का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाकर मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय रगंदार नक्शा दिनांक 18.10.2021 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का विभाजन एवं खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-

हिस्सा हरनाथ वल्द हजारी कौम जोगी सा. सुरतपुरा :- रोही मौजा सुरतपुरा के मु० न० 58 के किला न० 10/2 की 0.065 है०, किला न० 11/2 की 0.065 है०, किला न० 20/2 की 0.065 है०, बरानी 0.061 है०, गै० मु० रास्ता 0.004 है०, किला न० 9 की 0.253 है०, किला न० 12 की 0.253 है०, किला न० 19 की 0.253 है० बरानी 0.240 है०, गै० मु० रास्ता 0.013 है० कुल 0.954 है०, बरानी 0.937 है०, गै० मु० रास्ता 0.017 है० कृषि भूमि मुताबिक नक्शा में हरा रंग के अनुसार।


हिस्सा भानीनाथ उर्फ मानसिंह वल्द हजारी कौम जोगी सा. सुरतपुरा :- रोही मौजा सुरतपुरा के मु० न० 57 के किला न० 6/2 की 0.129 है०, किला न० 15/2 की 0.

129है0, किला न0 16/2 की 0.129है0 बारानी 0.124है0 गै0 मु0 रास्ता 0.005है0, मु0 न0 58 के किला न0 10/1 की 0.188है0, किला न0 11/1 की 0.188है0, किला न0 20/1 की 0.188है0 बारानी 0.179है0, गै0 मु0 रास्ता 0.009है0 कुल 0.951है0, बारानी 0.937है0, गै0 मु0 रास्ता 0.014है0 कृषि भूमि मुताबिक नक्शा में लाल रंग के अनुसार।

हिस्सा जयपाल वल्द हजारी कौम जोगी सा. सूरतपुरा :- रोही मौजा सूरतपुरा के मु0 न0 57 के किला न0 7/2 की 0.194है0, किला न0 14/2 की 0.194है0, किला न0 17/2 की 0.194है0 बारानी 0.184है0 गै0 मु0 रास्ता 0.010है0, किला न0 6/1 की 0.124है0, किला न0 15/1 की 0.124है0, किला न0 16/1 की 0.124है0 बारानी 0.116है0, गै0 मु0 रास्ता 0.008है0 कुल 0.954है0, बारानी 0.936है0, गै0 मु0 रास्ता 0.018है0 कृषि भूमि मुताबिक नक्शा में पीला रंग के अनुसार।

हिस्सा किशननाथ वल्द हजारी कौम जोगी सा. सूरतपुरा :- रोही मौजा सूरतपुरा के मु0 न0 57 के किला न0 8 की 0.253है0, किला न0 13 की 0.253है0, किला न0 18 की 0.253है0, किला न0 7/1 की 0.059है0, किला न0 14/1 की 0.059है0, किला न0 17/1 की 0.059है0 कुल 0.936है0 बारानी कृषि भूमि मुताबिक नक्शा में तोता रंग के अनुसार।
किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन यथावत रखा जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.10.21 को हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(शकुन्तला चौधरी)
(निमित्त प्रवर्तक)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जिला
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जिला
भादस, जिला हमपानमठ
21/10/21